न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **60 / 2017** अपील (राजस्व)

श्रीमती तारा देवी पिता प्रभुलाल जी पत्नि श्री सुरेश कुमार पालीवाल, निवासी विरधोलिया, तहसील मावली, हाल 127 / वी ट्रेन्च कॉलोनी, लोककला मण्डल के सामने, उदयपुर

—— **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता श्री प्रभुलाल जी ब्राम्हण, निवासी ओरड़ी ए, तहसील मावली, जिला उदयपुर
2. श्रीमती रूकमा देवी पत्नि प्रभुलाल जी ब्राम्हण, निवासी ओरड़ी ए, तहसील मावली, जिला उदयपुर
3. राजस्थान जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसील मावली तारीख 17.10.17 बाबत् नामान्तरकरण

उपस्थित : श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री सुन्दरलाल माण्डावत, रेस्पोडेंट संख्या 1, 2
श्री मनोज कुमार पॅवार, रेस्पोडेंट सख्या 3

निर्णय

दिनांकः—12.04.18

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने खातेदार प्रभुलाल पिता भेरूलाल ब्राम्हण एवं रूकमा देवी पत्नि भेरूलाल ब्राम्हण निवासी ओरड़ी ए तहसील मावली से मौजा ओरड़ी ए मावली में स्थित आराजी संख्या 909, 1440 कुल किता 2 रकबा 4 बिघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 1441 रकबा 2 बिघा 9 बिस्वा आराजी नम्बर 1444, 1445 कुल किता 2 रकबा 7 बिघा 3 बिस्वा भूमि सहखातेदारी की बताते हुए दिनांक 16.05.17 को अपने पक्ष में नुमाईशी वसीयत निष्पादित करा रजिस्ट्री करा ली हैं। जो कूटरचित व बनावटी है व बिना अधिकार के हैं। श्रीमती रूकमा देवी पत्नि श्री

भेरूलाल जी ब्राम्हण नाम की कोई खातेदारी नहीं है फिर भी श्रीमती रूकमा देवी पत्नि श्री भेरूलाल के नाम से वसीयत करायी है जो गलत है एवं बिना अधिकार के हैं। जबकि उक्त आराजीयात के खातेदार रूकमा देवी पिता रूपलाल ब्राम्हण है व इस नाम के खातेदार ने कोई वसीयत नहीं की हैं। प्रभुलाल जी की मृत्यु होने पर प्रभूलाल जी के वारीसान में प्रभुलाल जी की पत्नि रूकमा दवी, पुत्र भॅवरलाल, मोहनलाल व पुत्री तारादेवी है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कथित नामान्तरकरण की कार्यवाही में प्रभुलाल जी के पुत्र भॅवरलाल पत्नि रूकमादेवी एवं पुत्री तारादेवी को कोई सूचना नहीं दी नाही इन्हे सुना गया। कथित नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर खोले जाने का आदेश दिया गया है जबकि कथित प्रकरण की जॉच में कही यह जाहिर नहीं आया है कि रूकमा देवी पत्नि श्री भेरूलाल जी ब्राम्हण की कौन सी आराजीयात है एवं रूकमा देवी की मृत्यु हुई है या जीवित हैं। क्योंकि वसीयत में यह स्पष्ट अंकन किया गया है कि प्रथम पक्षकारान के सौ ही दिन पूरे होने पर उपरोक्त वर्णित समस्त चल अचल सम्पत्ति के एकमात्र स्वामी द्वितीय पक्षकार होंगे। जहॉ तक रूकमादेवी पत्नि श्री प्रभुलाल जी का प्रश्न है वह अभी तक जीवित हैं। तथाकथित वसीयत प्रभाव में नहीं आयी हैं। इस कारण जब तक कथित वसीयत प्रभाव में नहीं आती है, नामान्तरकरण की कोई कार्यवाही चलने योग्य नहीं रहती है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कथित नामान्तरकरण खोलने का आदेश दिया है जो निरस्त होने योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कथित नामान्तरकरण प्रभुलाल पिता भेरूलाल ब्राम्हण निवासी ओरड़ी ए तहसील मावली के बजाय मोहनलाल पिता भेरूलाल जी ब्राम्हण निवासी ओरड़ी ए तहसील मावली के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है जो भी गलत है क्योंकि मोहनलाल पिता भेरूलाल के पक्ष में कोई वसीयत नहीं हैं। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट मंगाई गई है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा जो मौके की रिपोर्ट मंगवाई

गई है जिसकी पालना में पटवारी द्वारा मौके की रिपोर्ट बनाई है उसमें भी अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई है नाही प्रभुलाल जी के पुत्र श्री भॅवरलाल को भी सूचना दी गई है ना बुलाया गया है तथा इनके पीठपीछे गलत रिपोर्ट मोहनलाल के कहने से बनायी गई है इस रिपोर्ट पर रूकमा के हस्ताक्षर बनाये गये है रूकमा हस्ताक्षर नहीं करती है बल्कि अंगूठा निशानी ही लगाती हैं। ऐसी फर्जी व कूटरचित रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण खोलने का आदेश देने में भारी भूल की हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने वसीयत के गवाहान के शपथ पत्र के आधार पर वसीयत सही होना मानकर नामान्तरकरण खोलने का आदेश देने में विधिक भूल की है जबकि गवाहो के शपथ पत्र में इस बात का अंकन नहीं है कि गवाहान ने वसीयतकर्ता प्रथम पक्षकारान के कहने से साख दी है व वसीयतकर्ता ने गवाहान के समक्ष वसीयत लिखी हो ऐसी अवस्था में वसीयत साबित नहीं होती है फिर भी कथित आदेश पारित करने में भारी भूल की हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने ना तो वसीयत को देखी है ना इस बात की जॉच की है कि वसीयतकर्ता रूकमा देवी पत्नि भेरूलाल जी ब्राम्हण नामकी कौन महिला है जिसने यह वसीयत की है तथा वो जीवित है या नहीं तथा रूकमा देवी पत्नि भेरूलाल जी ब्राम्हण का विवादित भूमि में क्या हक व अधिकार हैं। प्रभुलाल जी का पुत्र भॅवरलाल प्रभुलाल जी के साथ ही रहता आया है व प्रभुलाल जी ने भॅवरलाल की शादी सन् 2014 में करायी हैं। भॅवरलाल पैर से दिव्यांग है तथा भॅवरलाल की पत्नि भी हाथ से दिव्यांग है तथा अपनी हैसियत अनुसार सेवाचाकरी कर रहे है वसीयत में गलत तथ्य अंकित किये हैं। अपीलान्ट दिनांक 31.10.17 को तहसील में पता करने गयी कि विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ या नहीं जिस पर बताया गया कि नामान्तरकरण खोलने का कथित आदेश 17.10.17 को हो चुका है जिस पर अपीलान्ट ने उसी दिन कथित आदेश की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की एवं यह अपील प्रस्तुत की हैं जो अन्दर मियाद हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का कथित आदेश निरस्त फरमाया जावें, यदि नामान्तरकरण खोला जाकर स्वीकृत कर दिया गया है तो उसे निरस्त फरमाया जावें।

अपने अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं। इसी के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थीया भी हितबद्ध पक्षकार होकर वादग्रस्त सम्पत्ति में बराबर हक व हिस्से से काबिज चली आ रही हैं। प्रार्थीया का हित प्रभावित होने से अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही गई हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली हैं। जिसमें यह निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्पीकिंग आदेश दिनांक 16.05.17 के तहत पूर्ण जॉच कर ही रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। अपीलान्ट द्वारा लगाये गये आरोप गलत निराधार एवं बेबुनियाद हैं। वसीयत कूटरचित है या बनावटी उसके संबंध में अपीलान्ट को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं हैं। इसका निर्धारण सिविल न्यायालय ही कर सकता हैं। वसीयत को अवैध व शुन्य घोषित करने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को ही हैं। खोला गया नामान्तरकरण रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर ही खोला गया हैं। अपीलार्थीया को अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं था। मात्र तकनीकि त्रुटी के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी हैं। जिसका अधिकार अपीलान्ट को नहीं हैं। वसीयत के समय अपीलान्ट उपस्थित नहीं थी। इसलिये उसे उजर लेने का भी कोई अधिकार नहीं हैं। अपील बैहरून मियाद हैं। दिन प्रतिदिन की देरी को सकारण विस्तार से नहीं बताया गया हैं। इसलिये अपील

मियाद बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। यदि वसीयत की विधिकता अवैधानिकता है तो उस वसीयत के संबंध में सिविल न्यायालय को प्रकरण सुनकर वसीयत को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त हैं। वसीयत की विधिकता देखने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। नामान्तरकरण एक फिजीकल प्रोसिडिंग है इसलिये अपील दायर करने का अधिकार बहन या बेटी को नहीं हैं। बेटियॉ किसी प्रकार का कोई उजर करती है तो उनको नियमित राजस्व वाद दायर करना चाहिये। वसीयत में अंकित भूमि वसीयतकर्ता कि स्वअर्जित भूमि हैं। इसमे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हैं। वसीयत के संबंध में कोई विवाद नहीं होने से उसके उपर ही नामान्तरकरण खोला गया। अतः अपील अपीलार्थी को इसी स्तर पर खारीज कराना फरमावें।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा खातेदार प्रभुलाल पिता भेरूलाल जी ब्राम्हण एवं रूकमा देवी पत्नि श्री भेरूलाल ब्राम्हण निवासी ओरड़ी ए से दिनांक 16.05.17 को अपने पक्ष में नुमाईशी वसीयत निष्पादित करा रजिस्ट्री करा ली हैं। जो कुटरचित एवं बनावटी होकर बिना अधिकार के हैं। जबकि वसीयत में अंकित आराजीयात के खातेदार रूकमा देवी पिता रूपलाल जी ब्राम्हण हैं तथा वसीयत में रूकमा देवी पत्नि भेरूलाल जी का नाम अंकित हैं। खातेदार प्रभुलाल जी की मृत्यु के उपरान्त उनके वैध वारीसान में उनकी पत्नि रूकमा देवी पुत्र भॅवरलाल, मोहनलाल व पुत्री तारादेवी हैं। जबकि कथित नामान्तरकरण की कार्यवाही में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हे नहीं सुना जाकर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिये गये। उसमें विस्तृत जॉच भी नहीं की गई। वसीयतकर्ता प्रभूलाल पिता भेरूलाल ब्राम्हण एवं उनकी पत्नि श्रीमती रूकमा देवी पत्नि भेरूलाल जी ब्राम्हण दोनो के द्वारा संयुक्त रूप से उनके पुत्र मोहनलाल पिता प्रभुलाल ब्राम्हण

के पक्ष में निष्पादित कर दी गई हैं। वसीयत के कॉलम पॉच में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि ''हम प्रथम पक्षकारान के सौ ही दिन पुरे होने पर उपरोक्त वर्णित हमारी समस्त चल अचल सम्पत्ति के एकमात्र स्वामि आप द्वितीय पक्षकार होंगे। पटवारी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा यह जॉच रिपोर्ट ली गई उसमें उनकी पत्नि रूकमा देवी यानिकी वसीयतकर्ता द्वितीय जीवित हैं। वसीयतकर्ता के जीवित रहते किसी भी स्थिति में वसीयत प्रभावशील नहीं रहती हैं और नाही वसीयतग्रहिता उस वसीयत के आधार पर सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकारी हैं। विधिक प्रावधानो के अनुसार वसीयतकर्ता की मृत्यु होने पर ही वसीयत प्रभावशील रहती हैं। जिसका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। पटवारी रिपोर्ट को भी अनदेखा किया गया हैं। आर आर टी 2008 (1) पेज 548 के तहत एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नम्बर 6815/2006 निर्णय दिनांक 11.10.2007 के अनुसार वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही में वारीसानो को भी सुनना चाहिये। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा स्वर्गीय वसीयतकर्ता प्रभुलाल पिता भेरूलाल जी के विधिक वारीसानो को नहीं सुना गया एवं वसीयतकर्ता जीवित होने से तहसीलदार मावली द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 17.10.17 को इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जाकर उनके विधिक वारीसानो के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। वक्त बहस प्रस्तुत दस्तावेजो को शामिल पत्रावली किया गया।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा वक्त बहस अपीलार्थी के कथनो का पुरजोर विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश प्रदान किया गया हैं। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी कोई पक्षकार नहीं थी। अनाधिकृत

व्यक्ति द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली के द्वारा दिये गये आदेश जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें धारा 96 जा.दी. के प्रावधान लागु नहीं होते हैं। वसीयत में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता है तो उस वसीयत के संबंध में सिविल न्यायालय को प्रकरण सुनकर वसीयत को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त हैं। अपील में अपीलान्ट कोर्ट को वसीयत की विधिकता देखने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग हैं। जिसमें बहनो के कोई अधिकार तय नहीं किये जा सकते हैं। नियमित वाद से ही अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं। वसीयतकर्ता द्वारा जो सम्पत्ति वसीयत की गई है वह सम्पत्ति उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति हैं। स्वअर्जित सम्पत्ति को वसीयतकर्ता बैह बक्षीस दान वसीयत करने का पूर्ण अधिकार रखता हैं। वसीयतगृहिता के पक्ष में दी गई सम्पत्ति मौरूसी सम्पत्ति नहीं हैं। जिस आधार पर अन्य वारीसान इस सम्पत्ति को प्राप्त करने की पात्रता भी नहीं रखते हैं। वसीयत के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं है क्योंकि वसीयत में अंकित दोनो गवाहो श्री प्रवीण कुमार पिता घासीलाल पालीवाल एवं मांगीलाल पिता उदयलाल गमेती द्वारा भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने शपथ पत्र में निवेदन किया है कि वसीयत का विधिवत उपपंजीयन कार्यालय मावली में पंजीयन करवाया गया है जिसमें हमारी साख अंकित हैं। यदि अपीलान्ट वसीयत से व्यथित है तो सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दाद हासिल कर सकती हैं। वसीयतकर्ता रजिस्टर्ड खातेदार थे जिनके द्वारा विधिवत वसीयत सम्पादित कर रजिस्टर्ड करवायी हैं। जिसके आधार पर वसीयत को गलत अथवा मिथ्या नहीं कहा जा सकता हैं। अपने कथनो की ताईद में डी.एन.जे. 2015 (रेव) पेज 246, एआईआर 1995 हिमाचल प्रदेश पेज 92, आर आर डी 2016 पेज 96 की नजीरे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट को खारीज करना फरमावें।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर न्यायालय का मत है कि प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना न्यायसंगत होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. के संबंध में न्यायालय का मत है कि अपीलार्थीया वसीयतकर्ता प्रभुलाल पिता भेरूलाल जी की वैध वारीस हैं। जिस वजह से उसके द्वारा अपील प्रस्तुत की गई हैं। वह अपील प्रस्तुत करने की पात्रता भी रखती हैं। अतः अपीलार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर अपील को गृहण करने की स्वीकृति दी जाती हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं बहस पर मनन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी का यह कथन मान्य नहीं है कि अपील कुटरचित व बनावटी है क्योंकि अपील की वैधानिकता कों इस न्यायालय द्वारा नहीं देखा जा सकता हैं। मात्र इसका निर्धारण का अधिकार सिविल न्यायालय को ही हैं। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा श्री प्रभुलाल द्वारा सम्पादित वसीयत दिनांक 16.05.17 का भॅलीभाती अध्ययन नहीं किया गया। क्योंकि वसीयत प्रभुलाल एवं उनकी पत्नि श्रीमती रूकमा देवी द्वारा संयुक्त रूप से उनके पुत्र मोहनलाल के पक्ष में सम्पादित की गई हैं। जिसमें वसीयत के पेरा संख्या 5 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि ''हम प्रथम पक्षकार के सौ ही दिन पुरे होने पर उपरोक्त वर्णित हमारी सम्पत्ति समस्त चल अचल सम्पत्ति के एक मात्र स्वामि आप द्वितीय पक्षकार रहेंगे।'' जबकि पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 12.10.17 में रूकमा देवी जीवित हैं। वसीयतकर्ता के जीवित रहते हुए सम्पत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता हैं। साथही अपने आदेश में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसका भी कही उल्लेख नही

किया गया है कि वसीयत में श्रीमती रूकमा देवी पत्नि भेरूलाल जी ब्राम्हण अंकित है जबकि पटवारी की रिपोर्ट में रूकमा देवी के पति का नाम प्रभुलाल जी बता रखा हैं। जो भी विसंगति है जिस पर भी किसी प्रकार की विवेचना नही की गई। रूकमा देवी के जीवित होते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हे सुना भी नहीं गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय की सुविचित राय में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.17 में विधिक त्रुटियॉ होने से उनका आदेश खारीज किया जाता हैं। साथही उक्त आदेश से यदि नामान्तरकरण पारित कर दिया गया हो तो वह तत्काल प्रभाव से खारीज किया जावें। साथही तहसीलदार मावली को उक्त ऑब्जर्वेशन की रोशनी में प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह स्वर्गीय वसीयतकर्ता प्रभुलाल पिता भेरूलाल ब्राम्हण की पत्नि रूकमा देवी पत्नि प्रभुलाल जिसको पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.10.17 में जीवित बताया गया है इस संबंध में पूर्ण जॉच कर विधि में प्रदत्त नियमो के आधार पर ही नये सीरे से आदेश पारित करें।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर